

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल-20/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० शालिनी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, महनार, वैशाली के द्वारा दिनांक-15.03.2024 से 15.03.2025 तक कुल-366 (तीन सौ छियासठ) दिन उपभोगित/उपभोग किये जाने वाले अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-833(25), दिनांक-27.05.2024 से प्राप्त अवकाश आदेयता एवं वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है। उपभोगित अवकाश को घटाने के पश्चात डा० शालिनी को 364 (तीन सौ चौसठ) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल-20/2024- 449(2) पटना, दिनांक 24/2/ 2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, महनार, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, वैशाली/डा० शालिनी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, महनार, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

Waman K 25/2/26
सरकार के उप सचिव
1